न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 07/2021 (2021/14)

<u>अपीलार्थी</u>

श्रीमति शान्ति पुत्री स्व. श्री भुराराम पत्नि श्री मोहनराम जाति गुरू निवासी– ग्राम डांगियावास, हाल निवास कड़वड़, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

<u>प्रत्यर्थीगण</u>

1. चन्दु देवी पत्नि फोजाराम, जाति सांसी निवासी– सांसीयो की ढाणी, गुजरावास, तहसील व जिला जोधपुर।
2. इन्द्राराम पुत्र नरसिंहराम,
3. झुमरलाल पुत्र नरसिंहराम,
4. श्रवणराम पुत्र सोनाराम,
5. महेन्द्र पुत्र सोनाराम
   जातियान गुरू निवासीगण ग्राम डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।
6. नायब तहसीलदार डांगियावास, जोधपुर।
7. तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 09.02.1983 ग्राम डांगियावास जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

————

<u>उपस्थिति :–</u>

1. अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा (अपीलार्थी)
2. अधिवक्ता श्री दिलीप मूलचन्दानी (प्रत्यर्थी संख्या 01)
3. अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 02 ता 05)

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :– **17.02.2023**

अपीलार्थीया ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 450 ग्राम डांगियावास जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 09.02.1983 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

से प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप मूलचन्दानी तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 24.01.2023 को सुनी गई।

प्रार्थिया ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व प्रार्थिया को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नही दिया गया, इस कारण प्रार्थिया को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नही थी। प्रार्थिया को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.09.2020 को तब हुई जब अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने मिलकर प्रार्थिया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से आये तथा बतलाया कि उक्त भूमि खाली कर दे क्योंकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने खरीद ली है तब प्रार्थिया ने राजस्व रेकॉर्ड की नकल दिनांक 22.09.2020 को उप तहसील कार्यालय डांगियावास से लेकर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नामान्तरकरण व वर्तमान जमाबंदी की नकल दिनांक 10.01.2021 को लेकर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवा कर अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ कर्मचारियो ने प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि के साथ–साथ नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तो की भी अनदेखी की है। प्रार्थीया ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी से अपील को अन्दर म्याद शुमार करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थिया के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल गोरा ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थिया की पुश्तैनी भूमि ग्राम डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर के खसरा सं. 79 रकबा 14.06 बीघा भूमि स्थित है। भुराराम, लिखमाराम, नरसिंह पिता श्री रूगाराम 3/4 हरदेव पिता श्री हीराराम 1/4, कोम गुरू सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसमें अपीलार्थिया के पिता श्री भुराराम का 1/4 हिस्सा यानि रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी बनता है। भुराराम की मृत्यु हो चुकी है। स्व. भुराराम की एकमात्र सन्तान पुत्री अपीलार्थिया शांति है जो उनके हक हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरे की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता भुराराम का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 के पूर्वज नरसिंह का 1/4 हिस्सा, लिखमाराम का 1/4 हिस्सा एवं हरदेवराम का 1/4 हिस्सा था जो जमबंदी संवत 2037 से 2040 से स्पष्ट है लेकिन रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 व उनके पूर्व नरसिंहराम ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलिभगत कर अवैधानिक नामान्तरकरण जरिये विभाजन बताकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थिया के पिता भुराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया तथा नरसिंहराम व रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 ने खसरा सं. 79 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि अकेले नरसिंहराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दी, जबकि उक्त खसरे में नरसिंहराम का मात्र 1/4 हक हिस्सा यानि रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी ही बंट में आता है। अपीलार्थिया के पिता भुराराम व हरदेवराम का नाम गलत विभाजन बताकर राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया। भुराराम ने किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नही किया फिर भी रेस्पोडेंट के पिता नरसिंहराम ने विधि विरूद्ध खसरा संख्या 79 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है।

अपीलार्थिया अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थिया के पिता भुराराम अनपढ काश्तकार थे इसलिए इनको रिकॉर्ड के बारे मे जानकारी नही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता घर मे कर्ता खानदान थे, जिसका नाजायज फायदा उठाकर तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो के साथ मिली भगत कर सम्पूर्ण खसरे की भूमि अपने नाम करवा दी तथा अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवा दिया। उसके पश्चात नरसिंहराम के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 ने उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड मे पश्चातवर्ती ना. क. 913 व 1100 के जरिये अपने नाम दर्ज करवा दिये। अपीलार्थीया के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि हड़पने की नियत से रेस्पोडेन्ट सं. 01 चन्दु देवी के साथ मिली भगत कर जमीन बेचान कर ना. क. 1233 दर्ज कर दिया जो अवैध है तथा रेस्पोस्डेन्ट संख्या 01 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने सांठ गांठ कर अपीलान्ट को बिना बताए प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का राजस्व रेकॉर्ड मे बेचान कर दिया जिससे उक्त नामान्तरकरण व पश्चातवर्ती ना. कं. सं. 913, 1100 व 1233 अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी तक प्रभाव शून्य है, अपीलान्ट अपने हक हिस्से की भूमि पर आज दिन काबिज काश्त चली आ रही है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पर तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा स्पष्ट नोट अंकित कर रिपोर्ट की गई कि ''बंटवाड़ा स्वीकृत करने व नामान्तरकरण खोलने का कोई आदेश प्राप्त नही है'', उसके बावजूद भी तत्कालीन हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार ने विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की जाँच किये बिना एवं रेस्पोडेन्ट के साथ मिलीभगत कर तथा आस पड़ोस के खातेदारो व मौके [illegible] किये बिना स्वीकृत किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] करने से पहले अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

सूचना/सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध स्वीकृत होने से इस आधार पर भी निरस्त योग्य है। अन्त मे अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद शुमार कर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 09.02.1983 जो नायब तहसीलदार (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया को खारिज करने व पश्चातवर्ती नामान्तरकरणो को अपीलान्ट के हक हिस्से तक प्रभाव शून्य कर, ग्राम डांगियावास के खसरा सं. 79 रकबा 10.06 बीघा की पूर्व की स्थिति बहाल कर, अपीलान्ट के हक हिस्से की रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी मे अपीलान्ट का नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीया संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मूलचन्दानी ने दिनांक 19.12.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर बतलाया कि प्रार्थिया ने गलत व झूठे तथ्यों व आधारों पर अपील प्रस्तुत की हैं। प्रार्थिया को अपील प्रस्तुत करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में उल्लेखित तथ्य जिस प्रकार से उल्लेखित किये गये हैं, सरासर गलत व झूठे होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थिया ने बताया कि उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.09.2020 को हुई जबकि वास्तविकता इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को प्रश्नगत आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी और उसके पश्चात् भरे गये सभी नामान्तरकरणों की जानकारी भी थी। प्रार्थिया श्रीमति शांतिदेवी ने स्वंय वर्ष 2010 में हकतर्कनामा प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व गोदावरी के हक में निष्पादित कर उसे पंजीबद्ध करवाया था। हकतर्कनामा निष्पादनकर्ता श्रीमति शांतिदेवी एंव प्रार्थिया एक ही महिला हैं जिसकी पुष्टि हकतर्कनामा पर लगी हुई फोटो से भी होती हैं। इस प्रकार प्रार्थिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आई हैं और उसने सच्चाई छिपाते हुए न्यायालय को मुगालता देने का प्रयास किया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय AIR 1994 SC 853 S.P Chengalvaraya Naidu vs Jagannathesa में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आता है, उसे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से वास्तविकता छिपाता हैं अथवा गलत व झूठा कथन करता हैं तो उसका ऐसा आचरण न्यायालय के साथ धोखे के समान है और ऐसा करने वाले व्यक्ति का केस सारांशतः फैंक देना चाहिये और उसे मुकदमें से बाहर कर देना चाहिये। इस प्रकार इस प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध हैं कि प्रार्थिया न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई हैं, इस कारण वह कोई [illegible] प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। हालांकि प्रार्थिया को पूरे मामले की जानकारी थी, फिर भी एक क्षण के लिये यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

मान लिया जावे कि उसे शुरू से पूरे मामले की जानकारी नहीं थी तो भी वर्ष 2010 में जब प्रार्थिया द्वारा हकतर्कनामा निष्पादित कर उसे पंजीबद्ध करवाया गया, उस समय उसे सारे मामले की जानकारी हो गयी थी लेकिन उसके बावजूद भी 12 वर्षों तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या एतराज नहीं करना इस तथ्य को इंगित करता हैं कि प्रार्थीया ने यह अपील मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया द्वारा देरी की कोई माकूल वजह नहीं बतायी गयी हैं। विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय AIR 1998 SC 2276 P K Ramchandran Vs State of Kerala & AIR 1981 SC 1921 Anand Dev Koshal Vs Balkrishna Reddy में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि म्याद अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिये, और देरी का कारण वाजिब एंव वास्तविक होने पर ही उसे क्षमा किया जा सकता हैं। देरी का समुचित कारण प्रकट होना चाहिये साथ ही यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि विलम्ब के सम्बन्ध में निष्कर्ष देते समय प्रकरण का गुणावगुण कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। मामला भले ही गुणावगुण पर कितना ही मजबूत हो, देरी का युक्तियुक्त कारण नहीं होने पर देरी क्षमा नहीं की जा सकती हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय AIR 1999 Rajasthan 216 Union of India Vs Brijlal Prabhudayal & Others & AIR 1995 Rajasthan 47 Mahesh Bhardwaj Vs Smt. Smita Bharadwaj में यह मत प्रतिपादित किया हैं कि प्रत्येक दिन व प्रत्येक क्षण की देरी का वाजिब एंव युक्तियुक्त कारण होने पर ही देरी क्षमा की जा सकती हैं। इसी प्रकार माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने AIR 1995 GUJ 29 Municipal Corporation Ahemdabad Vs Voltas Limited & Others में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि देरी का कारण युक्तियुक्त एंव वास्तविक होना आवश्यक हैं, देरी के सम्बन्ध में केवल मात्र अभिवचन लिखना ही पर्याप्त नहीं हैं। देरी का समुचित कारण प्रकट होना चाहिये साथ ही यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि विलम्ब के सम्बन्ध में निष्कर्ष देते समय प्रकरण की मेरिट्स कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 01 ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थिया पक्षकार नही थी। अपीलार्थिया ने अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपील पेश करने के लिये अनुमति का कोई प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस कारण अपीलार्थिया को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं हैं। इस कारण भी अपीलार्थिया की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय CIVIL APPEAL NO. 2701/2020 में यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं –

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

"It is well settled that a person who is not a party to the suit may prefer an appeal with the leave of the Appellate Court and such leave should be granted if he would be prejudicially affected by the Judgment."

माननीय राजस्व मण्डल ने भी इस सम्बन्ध में अपने न्यायिक निर्णयों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं।

(1) आर आर डी 2006 पेज 569
मोक्षधाम निर्माण समिति बनाम चुन्नीलाल

(2) आर आर डी 1989 पेज 292
रामस्वरूप बनाम राजस्थान राज्य

प्रत्यर्थी संख्या 01 ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व अभियान वर्ष 1983 के दौरान सहखातेदार की आपसी सहमति से बंटवाड़ा के आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.02.83 क्रमांक 8314 की पालना में भरा गया हैं, उस आदेश को चुनौती नहीं दी गयी हैं, ऐसी स्थिति में उस आदेश की चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण की कार्यवाही पर एतराज नहीं किया जा सकता हैं। म्यूटेशन केवल मात्र फिसकल प्रोसिडिंग हैं, इससे किसी भी पक्षकार के हक व अधिकार सृजित नहीं होते हैं, चूंकि वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 16.09.2010 के जरिये अन्तरित हो चुका हैं और उसके पश्चात दिनांक 03.04.2012 को वादग्रस्त भूमि का बेचाननामा खातेदारान् के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमति चन्दूदेवी के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका हैं, और भूमि का स्वामित्व अन्तरित हो चुका हैं, ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध हकतर्कनामा एंव बेचाननामा को सिविल न्यायालय के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता हैं। धारा 31 विशिष्ठ अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता हैं। इस कारण भी अपील पोषणीय नहीं हैं। बहस के अन्त में अपीलार्थीया की अपील खारिज करने की इस्तदुआ की। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किए।

(1) 2013 AIR SCW 5210
Bhanwerlal & Others Vs Raj Board of Muslim Wakf

(2) AIR 2018 RAJASTHAN 143
Hasti Cement Pvt Ltd. Vs Sandip Charan & Others

(3) AIR ONLINE 2019 RAJ. 654
Smt. Bhagwati Kunwar Vs Gulab Singh

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:58:20 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया द्वारा उक्त अपील लगभग 37 वर्ष पश्चात पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से

खारिज योग्य है। अपीलार्थीया के पिता भूराराम ही थे लेकिन भूराराम के देहान्त के पश्चात अपीलार्थीया का पालन–पोषण नरसिंहराम के द्वारा ही किया गया। अपीलार्थीया के पिता भूराराम ने अपने जीवनकाल में ही स्वयं के हिस्से की भूमि जरिये एग्रीमेन्ट बंटवाड़ा के नरसिंहराम को दे दी थी, उसके बाद विधि अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण नरसिंहराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया। उक्त विवादित भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से किया जा चुका है। बहस के अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्याय निर्णयों का भी अध्ययन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1983 को राजस्व अभियान के दौरान कथित एग्रीमेंट बंटवाड़ा के आधार पर स्वीकृत किया गया तथा उस समय अपीलार्थीया के पिता भूराराम पुत्र रूगाराम जीवित थे। अपीलार्थीया ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उसे कोई नोटिस/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.09.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की नियत से आने व हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नामान्तरकरण व जमाबन्दी की नकल दिनांक 21.01.2021 को लेने पर होना कहा गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थीया को प्रश्नगत आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी तथा स्वयं ने वर्ष 2010 में प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व गोदावरी के पक्ष में हकतर्कनामा किया। प्रत्युत्तर में यह भी कहा कि देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताये जाने के कारण विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में AIR 1999 (Raj.) Page No. 216, AIR 1998 (S.C.) 2276, AIR 1981 (S.C.) Page 1921 व AIR 1995 (Raj.) Page 47 पर दिये गए न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाया।

AIR 1999 (Raj.) Page No. 216 व AIR 1995 (Raj.) Page 47 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक दिन के विलम्ब का वाजिब एवं युक्तियुक्त कारण देने पर ही विलम्ब क्षमा योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपील में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। AIR 1998 (S.C.) 2276 व 1981 (S.C.) Page 1921 के न्याय निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि विलम्ब के संबंध में निष्कर्ष देते समय प्रकरण का गुणावगुण का कोई संबंध नहीं रखता है तथा देरी का उचित एवं वास्तविक कारण होने पर उसे क्षमा किया जाना है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीया ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने के लगभग 37 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है जिसका विलम्ब क्षमा करने का समुचित व वास्तविक कारण नहीं बतलाया गया। अतः रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत उक्त न्याय निर्णय ग्राह्य योग्य है। अतः उक्त अपील विलम्ब के आधार पर निरस्त योग्य है।

द्वितीयतः अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व अभियान वर्ष 1983 के दौरान सहखातेदार की कथित आपसी सहमति से बंटवाड़ा के आधार पर स्वीकृत किया गया तथा उक्त बंटवाड़ा के अस्तित्व में रहने तक नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। बंटवाड़ा आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। अगर अपीलार्थीया के विवादग्रस्त भूमि पर हित प्रभावित होते है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने स्वत्व निर्धारण करना चाहिए। नामान्तरकरण अपील सरसरी कार्यवाही होने से पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीया निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested